संख्या-50 /2026 /001-1081-2026-1891559-12-2099-33-2025

प्रेषक,

ओम प्रकाश वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 15 सितम्बर, 2026**

विषयः- नेशनल क्रॉप इन्श्योरेंस प्रोग्राम के अन्तार्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- एस-647/लेखा/वित्तीय स्वीकृति/2026-27, दिनांक 30 जुलाई, 2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्षक-2401- फसल कृषि कर्म-110 फसल बीमा-04-नेशनल क्रॉप इन्श्योरेंस प्रोग्राम (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) के मानक मद 04-यात्रा व्यय में प्राविधानित धनराशि रु. 40.00 लाख के सापेक्ष रु. 20.00 लाख, 08-कार्यालय व्यय में प्राविधानित धनराशि रु. 50.00 लाख के सापेक्ष रु. 25.00 लाख, 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई में प्राविधानित धनराशि रु. 50.00 लाख के सापेक्ष रु. 25.00 लाख, 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण में प्राविधानित धनराशि रु. 40.00 लाख के सापेक्ष रु. 20.00 लाख, 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में प्राविधानित धनराशि रु. 50.00 लाख के सापेक्ष रु. 25.00 लाख, 42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रु. 70.00 लाख के सापेक्ष रु. 35.00 लाख, 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एव अन्य प्रासंगिक व्यय में प्राविधानित धनराशि रु. 10.00 लाख के सापेक्ष रु. 5.00 लाख, 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर का क्रय में प्राविधानित धनराशि रु. 50.00 लाख के सापेक्ष रु. 25.00 लाख एवं 47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय में प्राविधानित धनराशि रु. 50.00 लाख के सापेक्ष रु. 25.00 लाख, कुल प्राविधानित धनराशि रु. 410 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि रुपये 205.00 लाख (रुपये दो करोड़ पांच लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/प्रस्ताव के अनुरूप भारत सरकार के दिशा-गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

2. धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

4. धनराशि का विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

5. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

6. निर्गत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी।

7. कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाए, क्योंकि धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

8. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वीकृत किए जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

9. आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।

10. सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाए।

11. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरणव्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय-

लेखाशीर्ष: 2401001100400 (नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	011	2401001100400 नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम	04 यात्रा व्यय	**20,00,000** (रुपये बीस लाख मात्र)
2	011	2401001100400 नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम	08 कार्यालय व्यय	**25,00,000** (रुपयेपच्चीसलाखमात्र)
3	011	2401001100400 नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	**25,00,000** (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
4	011	2401001100400 नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	**20,00,000** (रुपये बीस लाख मात्र)
5	011	2401001100400 नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	**25,00,000** (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
6	011	2401001100400 नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम	42 अन्य व्यय	**35,00,000** (रुपये पैंतीस लाख मात्र)
7	011	2401001100400 नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	**5,00,000** (रुपये पाँच लाख मात्र)
8	011	2401001100400 नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	**25,00,000** (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
9	011	2401001100400 नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	**25,00,000** (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
			कुल महायोग:-	**2,05,00,000** **(रुपये दो करोड़ पाँच लाख मात्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-119-X-2026-27 – दिनांक 01-09-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ओम प्रकाश वर्मा
विशेष सचिव।

संख्या-50(1) /2026/001-1081-2026-1891559-12-2099-33-2025, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) - प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) - प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।
4. अपर कृषि निदेशक, (बीज एवं प्रक्षेत्र), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 / बजट अनुभाग- 1 / 2 / कृषि अनुभाग-5 / नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन ।
7. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
डा0 रंजना दूबे
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।